न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य आर.ए.एस

अपील संख्या :- 7/2021

1. राजेन्द्र पुत्र सांवलराम
2. चिरंजीलाल पुत्र सांवलराम
   समस्त जाति माली निवासी मौहल्ला चांदवाडा नियर भादरसिंह का तालाब नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

अपीलान्टगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल
2. रमेशचन्द पुत्र प्रभूदयाल
   समस्त जाति माली निवासी मौहल्ला चांदवाडा नियर भादरसिंह का तालाब नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्टगण

4. सुनिल पुत्र सांवलराम
5. मन्नी देवी पत्नी सांवलराम
6. विमला देवी पुत्री सांवलराम
   समस्त जाति माली निवासी मौहल्ला चांदवाडा नियर भादरसिंह का तालाब नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3921 ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 26/02/2021 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली ।

निर्णय दिनांक 6/10-2021

अपीलान्ट नामा.सं. 3921 वाके ग्राम बूचाहेडा दिनांक 26/02/2021 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामा. के विरूद्ध अपील पेश की है, जिसमे वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :-

1. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 65/0.32, 67/0.34, 68/0.32 व 69/0.01, कुल किता 4 रकबा 0.99 हैक्टर वाके मौजा बूचाहेडा तहसील कोटपूतली में स्थित है, के 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार श्रीमती रामबाई पुत्री सोनाराम थी, जिसका विवाह प्रभूदयाल पुत्र मोहनलाल से सम्मन्न हुआ तथा रामबाई के तीन लडके सावलराम पुत्र प्रभूदयाल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बाबूलाल व रमेशचन्द पुत्रान् प्रभूदयाल हुये। सांवलराम की मृत्यु अपने माता के जीवनकाल में ही दिनांक 20/4/2008 को हो गयी थी, जिसके वारिसान् उनके लडके अपीलान्टसंख्या 01 व 02 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 हुये। रामबाई की मृत्यु दिनांक 09/7/2013 को होने के उपरान्त उनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/45, 1/45 व उपरोक्त आराजी पर उनके

अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 हिस्सा 1/45 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुये परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन पटवारी हलका से साज. कर आराजी हाल ख.नं. 65/0.32, 67/0.34, 68/0.32 व 69/0.01, कुल किता 4 रकबा 0.99 हैक्टर वाके मौजा बूचाहेडा तहसील कोटपूतली में रामबाइ पुत्री सोनाराम का विरासत ईन्तकाल उनके सभी विधिक वारिसान् के बजाये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम जरिये नामा.सं. 3921 दिनांक 26/02/2021 बिना अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सूचित किये एवं बिना रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नि प्रभूदयाल के विधिक वारिसान् की जांच किये नामा. दर्ज कर तहसीलदार कोटपूतली से स्वीकार करवा लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 10/3/2021 को कोटपूतली पटवारी हल्का से मिलने रामबाइ पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल की विरासत का नामा. दर्ज करवाने बाबत कहे जाने पर हुयी, जिस पर बिना देरी किये उपरोक्त नामा. की नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26/02/2021 बाबत नामा.सं. 3921 विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि रामवाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल की मृत्यु उपरान्त उनके सभी प्रथम वर्ग के वारिसान् के नाम नामा. दर्ज होना चाहिए था। अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट रामबाई पुत्री सोनाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान् है, परन्तु अधिनिस्थ न्यायालय ने रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के विधिक वारिसान् की बिना जाच कराये विधि विरूद्व रूप से उक्त नामा. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया जो खारिज योग्य है।
4. यह है कि रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नि प्रभूदयाल अपने ससुराल नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) में निवास करती थी तथा उनकी मृत्यु भी ग्राम नारनौल में हुयी है ऐसी सूरत में उपरोक्त नामा. दर्ज करने एवं स्वीकार करने से पूर्व तहसीलदार नारनौल से उनके समस्त विधिक वारिसान् की जांच करवा कर तद्उपरान्त उक्त नामा. को तस्दीक करना चाहिए था, परन्तु तहसीलदार कोटपूतली द्वारा बिना कोई रिपोर्ट प्राप्त किये विधि विरूद्व रूप से उपरोक्त नामा. तस्दीक किये जाने की भारी भूल की है।
5. यह है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के प्रथम वर्ग के वारिसान् है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना सूचित किये उपरोक्त नामा. दर्ज कर तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व है।
6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26/02/2021 बाबत नामा.सं. 3921 ग्राम बूचाहेडा के विरूद्व अपील सुनने व तैय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। उक्त आदेश 26/02/2021 के विरूद्व अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
7. यह है कि अपील नियत् कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा.सं. 3921 ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 26/02/2021 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली निरस्त कर रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नि प्रभूदयाल के समस्त विधिक वारिसान् के नाम नामा. दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।
8. अपीलान्ट द्वारा अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 की एक पक्षीय कार्यवी अमल में लायी गयी।
9. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत आराजी ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली में स्थित है, के 1/15 हिस्से की रामबाई पुत्री सोनाराम खातेदार काश्तकार थी, जिसका विवाह प्रभूदयाल पुत्र मोहनलाल से सम्पन्न हुआ। रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के तीन लडके सांवलराम बाबूलाल रमेशचन्द पुत्रान् प्रभूदयाल हुये, जिसमें सांवलराम की मृत्यु रामबाई के जीवनकाल में ही 20/4/2008 को हो चुकी थी, जिसके वारिसान्

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 है। रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल की मृत्यु दिनांक 09/7/2013 को होने के उपरान्त उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 हिस्सा 1/45 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हिस्सा 1/45 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हिस्सा 1/45 पर खातेदार काबिज काश्तकार हुये। इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज कर अपने नाम रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल विरासत का नामा.सं. 3921 अपने नाम तस्दीक करा लिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 10/3/2021 को विरासत का नामा. दर्ज कराने बाबत पटवारी हल्का से मिलने पर हुयी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को विरासत का नामा. दर्ज करने से पूर्व रामबाई के विधिक वारिसान् की पूर्ण जांच कर ही उक्त नामा. तस्दीक करना चाहिए था, जबकि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट रामबाई पुत्री सोनाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान् है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में विरासत का नामा. तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया है वह गैर कानूनी है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को विरासत का नामा. दर्ज करने से पूर्व उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था । तहसीलदार को रामबाई पुत्री सोनाराम के विधिक वारिसान् की जांच करवाकर तदउपरान्त ही विरासत का नामा. तस्दीक करना चाहिए था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा.सं. 3921 ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली को अपास्त किया जावें तथा रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के सभी विधिक वारिसान् के नाम उक्त आराजी का नामा. खोला जावें।

10. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि तहसीलदार नारनौल जिला महेन्द्रगढ की रिपोर्ट के आधार पर रामबाई पत्नी प्रभूदयाल के वारिसान् की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामा. विरासत का स्वीकार किया है जो सही है।

11. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी ख.नं. 65, 67, 68, 69 रकबा 0.99 हैक्टर वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली में रामबाई पुत्री सोनाराम हिस्सा 1/15 जाती माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। रामबाई पुत्री सोनाराम की मृत्यु होने पर विरासत का नामा. सं. 3921 दिनांक 23/02/2021 पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम दर्ज होकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 26/02/2021 को स्वीकार किया जाना पाया गया। वकील अपीलान्ट का बहस में अभिकथन है कि रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के जीवनकाल में ही उनके पुत्र सांवलराम की मृत्यु हो चुकी थी, जिनके वारिसान् अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट है। रामबाई पुत्री सोनाराम की मृत्यु होने पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 1/45 हिस्से पर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हिस्सा 1/45 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हिस्सा 1/45 पर अपने–अपने हिस्से पर खातेदार काबिज काश्तकार हुये । इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज कर अपने नाम उक्त विरासत का नामा. अपने नाम स्वीकार करा लिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को रामबाई पुत्री सोनाराम की विरासत का नामा. स्वीकार करते समय उनके सभी विधिक वारिसान् की जांच पडताल कर उन्हें सूचित कर विरासत का नामा. स्वीकार करना चाहिए था। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्वीकार किया गया नामा.सं. 3921 वाके मौजा बूचाहेडा को खारिज कियां जावें तथा मृत्क रामबाई पुत्री सोनाराम के सभी विधिक वारिसान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

चूँकि नामा.सं. 3921 ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली का पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 23/02/2021 को रामबाई पुत्री सोनाराम की विरासत को रामबाई पुत्री सोनाराम की विरासत का दर्ज होकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 26/02/2021 को स्वीकार किया गया है। उक्त नामा

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम विरासत का दर्ज हुआ है, जबकि रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के एक पुत्र सांवलराम था जिसके वारिसान् अपीलान्ट एवं तरमीमी रेस्पोडेन्ट है जिन्होंने उक्त नामा. से व्यथित होकर अपील पेश की है। कानून की दृष्टि से विरासत का नामा. दर्ज करते समय सभी विधिक वारिसान् की जांच कर ही नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए, जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उक्त नामा.सं. 3921 वाके ग्राम बूचाहेडा तहसील कोटपूतली द्वारा स्वीकार करते समय रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के सभी विधिक वारिसान् की जांच पडताल नहीं कर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम विरासत का उक्त नामा. स्वीकार किया है जो गैर कानूनी है। इसलिए अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामा. सं. 3921 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 26/02/2021 वाके ग्राम बूचाहेडा को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कोटपूतली को प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मृत्क रामबाई पुत्री सोनाराम पत्नी प्रभूदयाल के समस्त विधिक वारिसान् की जाँच पडताल कर उन्हें सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर सभी विधिक वारिसान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

13. निर्णय आज दिनांक 6.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)